

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चन्देरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

दिनेश शर्मा पुत्र नारायण प्रसाद शर्मा  
उम्र 31 साल निवासी बोहरे कालौनी  
जिला-अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 11.05.2018 को घोषित)**

- 01- अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 304 (A) दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 28.04.2012 को समय 02:30 बजे दोपहर लगभग पाण्डे होटल के सामने सार्वजनिक मार्ग पर बस क्रमांक M.P. 08 P 0156 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाते हुये मृतक नन्नू को बस से गिराकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.04.2012 को दोपहर में चंदेरी कस्बे में बस क्रमांक M.P. 08 P 0156 के चालक द्वारा बस को तेजी व लापहरवाही से चलाकर से चलाते हुये उसमें से नन्नू के बस से गिर जाने से आई चोटों आई, उक्त चोटों के ईलाज के दौरान नन्नू सिंह की मृत्यु होना पाया गया। ए0एस0आई0 जयपाल के द्वारा पुलिस थाना गुना से मार्गक्रमांक 74/12 असल कायमी के लिये पुलिस थाना चंदेरी में प्रस्तुत किया गया। उक्त मार्ग की असल कायमी प्रधान आरक्षक नरेन्द्र सिंह के द्वारा पुलिस थाना चंदेरी के मार्ग क्रमांक 23/12 दिनांक 19.05.12 पर की जाकर मार्ग जांच प्रधान आरक्षक अवधेश की सुपुर्दग की। प्रधान आरक्षक अवधेश के द्वारा मार्ग जांच के उपरांत उक्त जांच के आधार पर पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 250/12 अंतर्गत धारा 304 ए के तहत बस क्रमांक एम0पी0 08 पी 0156 के चालक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण की अग्रिम विवेचना सहायक उपनिरीक्षक बलराम मांझी के द्वारा की गई। विवेचना के क्रम में सहायक उपनिरीक्षक बलराम मांझी ने मृतक नन्नू की मृत्यु की सूचना धारा 174 'स' के फार्म पर बस क्रमांक एम0पी0 08 पी 0156 की जप्ती एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी साक्षियों के समक्ष करके आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया।
- 03-अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.04.2012 को समय 02:30 बजे दोपहर लगभग पाण्डे होटल के सामने सार्वजनिक मार्ग पर बस क्रमांक M.P. 08 P 0156 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाते हुये मृतक नन्नू को बस से गिराकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 05— सहायक उपनिरीक्षक नरेन्द्र सिंह (अ0सा0-3) का कहना है कि दिनांक 19.05.2012 को गुना के सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा मर्ग क्रमांक-078/12 असल कायमी हेतु लाया था तथा उक्त मर्ग की असल कायमी उसके द्वारा स्वयं मर्ग क्रमांक-23/12 पर अंतर्गत धारा 174 द0प्र0स0 के अंतर्गत लेखबद्ध की गई थी, जो प्रदर्श पी-03 है, जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथा इस साक्षी का कहना है कि उस मर्ग की जांच उसने प्रधान आरक्षक अवधेश गौर को सौंप दी थी।
- 06— तत्कालीन प्रधान आरक्षक एवं वर्तमान में सहायक उपनिरीक्षक अवधेश कुमार (अ0सा0-6) ने अपने न्यायालीन कथनों में नरेन्द्र सिंह (अ0सा0-3) के कथनों की पुष्टि करते हुये व्यक्त किया है कि दिनांक 19.05.12 को प्रधान आरक्षक नरेन्द्र सिंह के द्वारा उसे मृतक नन्नू सिंह परिहार की आकस्मिक मृत्यु की सूचना क्रमांक-23/12 प्रदर्श पी-03 के द्वारा दी गई थी, जिसके आधार पर उसने मर्ग जांच अंतर्गत धारा 174 द0प्र0स0 की थी तथा जांच के दौरान मृतक की पत्नी सरोज बाई (अ0सा0-1), बल्लू उर्फ राजेश (अ0सा0-4) नारायण (अ0सा0-5) व शमीम खां (अ0सा0-2) के कथन लेखबद्ध किये थे तथा जांच में मृतक नन्नू सिंह परिहार की मृत्यु का कारण बस क्रमांक एम0पी 08 पी 0156 के चालक के द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर नन्नू सिंह की मृत्यु कारित करना पाये जाने पर अपराध क्रमांक 250/12 अंतर्गत धारा 304 ए पंजीबद्ध किया था तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-04 पर ए से ए भाग पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।
- 07— अवधेश कुमार (अ0सा0-6) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों के अनुसार मर्ग जांच में उसके द्वारा मृतक नन्नू सिंह की पत्नी सरोज बाई (अ0सा0-1), साक्षी बल्लू उर्फ राजेश

(अ0सा0-4) नारायण (अ0सा0-5) व शमीम खां (अ0सा0-2) के लिये गये कथनों के आधार पर प्रकरण में बस क्रमांक M.P. 08 P 0156 बस के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 250/12 अंतर्गत धारा 304 A का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसके पश्चात् अग्रिम विवेचना में तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक बलराम मांझी (अ0सा0-7) के द्वारा उक्त बस क्रमांक M.P. 08 P 0156 मय अभियुक्त दिनेश शर्मा के लाईसेंस की छायाप्रति एवं वाहन के अन्य दस्तावेजों के साथ दिनांक 31.08.2012 को जप्त की गई एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-06 तैयार किये गये जिसकी पुष्टि स्वयं अवधेश कुमार (अ0सा0-6) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में की गई।

08- अतः स्पष्ट होता है कि तत्कालीन प्रधान आरक्षक अवधेश कुमार (अ0सा0-6) के द्वारा की गई मर्ग जांच एवं मर्ग जांच में लिये गये, मृतक की पत्नी सरोज बाई (अ0सा0-1), बल्लू उर्फ राजेश (अ0सा0-4) नारायण (अ0सा0-5) व शमीम खां (अ0सा0-2) के कथनों के आधार पर अभियुक्त दिनेश शर्मा को प्रकरण में अभियोजित किया गया है। अभियोजन के ओर से अपने समर्थन में मृतक की पत्नी सरोज बाई (अ0सा0-1), राजेश (अ0सा0-4) नारायण (अ0सा0-5) व शमीम खां (अ0सा0-2) सहित साक्षी विजय परिहार (अ0सा0-8) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, उपरोक्त साक्षियों में से मौके का साक्षी मात्र राजेश (अ0सा0-4) व नारायण (अ0सा0-5) है।

09- सरोज बाई (अ0सा0-1) का अपने कथनों में कहना है कि उसके पति मृतक नन्नू सिंह तीन साढ़े तीन साल पहले घटना दिनांक को सहर्ष जाने के लिये घर से ढाई बजे निकले थे। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-02 में यह स्पष्ट किया है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं थी घर पर थी तथा उसके पति सहर्ष जाने के लिये ढाई बजे निकले थे तथा तीन बजे उसे घटना के बारे में पता चला था। सरोजबाई (अ0सा0-1) का कहना है कि उसने नाती राजेश (अ0सा0-4) ने उसे यह बताया था कि नन्नू सिंह पाण्डे बस पर सहर्ष जाने के लिये चढ़े थे और ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी चला दी, तो वह कुछ पकड़ नहीं पाये और वाहन से नीचे गिरने से उन्हें चोट आई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

10- विजय परिहार (अ0सा0-8) जो कि मृतक नन्नू सिंह का पुत्र है एवं अभियोजन कहानी का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी राजेश (अ0सा0-4) का पिता है, का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि पुराने बस स्टेण्ड पर दिनांक-28.04.2012 को करीब ढाई बजे बस से गिरने के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तथा उसके लड़के राजेश (अ0सा0-4) ने उसे यह बताया था कि उसके पिता का एक्सीडेंट पाण्डे बस क्रमांक M.P. 08 P 0156 से हुआ है, जिसके चालक ने लापरवाही से बस चलाई थी। इस साक्षी का कहना है कि वह पिता को देखने के लिये सरकारी अस्पताल गुना गया था।

11- सरोज बाई एवं विजय परिहार (अ0सा0-4) के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि घटना

उसने स्वयं नहीं देखी तथा उसे जो भी जानकारी है वह राजेश (अ0सा0-4) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार है। सरोज बाई ने अपने कथनों में न तो यह स्पष्ट किया है कि किस क्रमांक की बस ने घटना कारित की थी तथा उस बस को कौन चला रहा था। वहीं विजय परिहार ने अपने पुत्र राजेश (अ0सा0-4) के बताये अनुसार यह तो कथन दिये है कि जिस बस से एक्सीडेंट हुआ, उस बस का नंबर M.P. 08 P 0156 था, परन्तु उस बस को अभियुक्त चला रहा था, इस संबंध में इस साक्षी ने कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये। इस साक्षी का स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में कहना है कि वह नहीं बता सकता है कि एक्सीडेंट किसके द्वारा और कैसे हुआ था क्योंकि वह घटना के समय मौजूद नहीं था। अतः सरोज बाई (अ0सा0-1) विजय परिहार (अ0सा0-4) घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होकर अनुश्रुत साक्षी है।

- 12— समीम खा (अ0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि वह अभियुक्त को जानता हैं, जो कि ड्राईवर है। इस साक्षी का भी कहना है कि नन्नू सिंह दिन में ढाई बजे करीब खाना खाकर सहरई के लिये निकले थे और पुराने बस स्टेण्ड से मुंगावली के लिये जाने के लिये पाण्डे बस में बैठे थे और बस से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस साक्षी का स्वयं यह कहना है कि उसे जानकारी नहीं है कि दुर्घटना कैसे हुई थी तथा साथ ही यह भी कहना है कि उसे खबर लगी थी तो वह दौड़कर चंदेरी अस्पताल आया था। समीम खां (अ0सा0-2) ने अपने कथनो में स्पष्ट किया है कि इस घटना के बारे में उसे एक लडके ने बताया था, जिसका नाम उसे याद नहीं है।
- 13— अतः समीम खां (अ0सा0-2) के द्वारा घटना के संबंध में जो भी कथन दिये हैं, वह किसी अन्य व्यक्ति के बताये अनुसार दिये गये हैं तथा यह साक्षी भी घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था न ही उसने घटना देखी है। इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह स्पष्ट नहीं किया है कि जिस लडके से उसे जानकारी मिली थी, उस लडके ने वास्तव में उसे बस का नंबर बताया था, परन्तु प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का अवश्य कहना है कि जिस बस से दुर्घटना हुई थी, उस बस का ड्राईवर अभियुक्त नहीं था उसे कोई ओर चला रहा था।
- 14— अभियोजन कहानी के अनुसार राजेश (अ0सा0-4) व नारायण (अ0सा0-5) घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है तथा राजेश (अ0सा0-4) के बताई गई घटना के अनुसार ही सरोज बाई (अ0सा0-1) व विजय परिहार (अ0सा0-8) घटना की जानकारी होना बताते हैं। अतः घटना के संबंध में अभियोजन साक्षी राजेश (अ0सा0-4) व नारायण की साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसका सूक्ष्म परीक्षण किया जाना आवश्यक है। नारायण सिंह (अ0सा0-5) का अपने कथनों में कहना है कि वर्ष 2012 में घटना दिनांक को दोहपर के समय 12:00 से 02:00 के बजे आस-पास वह नगरपालिका जा रहा था, वहां पर पुराने बस स्टेण्ड पर पाण्डे बस के आस-पास भीड़ इकट्ठा थी, वहां नन्नू सिंह पड़े थे तथा लोग बता रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। इस साक्षी का कहना है कि उसने एक्सीडेंट होते नहीं देखा तथा लोग बता रहे थे कि पाण्डे बस से एक्सीडेंट हो गया है।

- 15- राजेश (अ0सा0-4) का अपने न्यायालीन कथनों में क हना है कि दिनांक-28.04.2012 को 02:30 बजे उसके दादा मृतक नन्नू सिंह सहराई जा रहें थे तथा वह भी घर से सब्जी लेने के लिये निकला था और जब वह पुराने बस स्टेण्ड पर पहुंचा, तो वहां लोग चिल्ला रहे थे कि कोई गिर गया है और जब उसने जाकर देखा, तो उसके दादाजी गिरे हुये थे तथा पता करने पर आसपास के लोगों ने बताया कि बस क्रमांक M.P. 08 P 0156 के ड्राईवर दिनेश से तेजी व लापरवाही से बस को चलाया है, जिससे उसके दादाजी बस पर चढ़ नहीं पाये और गिर गये।
- 16- सरोज बाई (अ0सा0-1) व राजेश (अ0सा0-4) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनो में इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी गई है कि मृतक नन्नू सिंह घटना दिनांक को दोपहर के समय सहराई जाने के लिये घर से निकले थे और पुराने बस स्टेण्ड पर उनका एकसीडेंट होने से मौके पर वह घायल अवस्था में घटना दिनांक को ही राजेश (अ0सा0-4) व नारायण सिंह (अ0सा0-5) को मिले थे, इस संबंध में राजेश (अ0सा0-4) व नारायण (अ0सा0-5) की साक्ष्य विरोधाभास रहित व अखण्डित है। अतः यह तो स्पष्ट होता है कि दिनांक-28.04.12 को पुराने बस स्टेण्ड पर मृतक नन्नू सिंह जब सहराई जाने के लिये बस पकड़ रहे थे तो एकसीडेंट होने से उसकी मृत्यु हो गई अतः मुख्य रूप से देखा यह जाना है कि मृतक नन्नू सिंह की मृत्यु का कारण क्या है।
- 17- अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में डॉक्टर पी. एन. धाकड (अ0सा0-9) के कथन न्यायालय में कराये गये है, जिनके द्वारा दिनांक 29.04.12 को मृतक नन्नू सिंह का शव परीक्षण का आवेदन प्राप्त होने पर शव परीक्षण किये जाने की पुष्टि कथनों में की गई। डॉक्टर पी. एन. धाकड (अ0सा0-9) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट किया है कि मृतक नन्नू सिंह पसलियों में फ्रैक्चर था तथा पसलियां टूट कर फेफड़ों में चलीं गई थीं और फेफड़ों का बाहरी आवरण भी फट गया था और हृदय के दोनो पक्षों से अल्प मात्रा में रक्त पाया था तथा डॉक्टर पी. एन. धाकड ने यह स्पष्ट किया है कि नन्नू सिंह की मृत्यु फेफड़े में आई चोट व दम घुटने के कारण हुई थीं तथा मृत्यु शव परीक्षण के 06 घण्टे अंदर हुई थी।
- 18- डॉक्टर पी. एन. धाकड (अ0सा0-9) के द्वारा किये गये शव परीक्षण में एवं शव परीक्षण में पाई गई चोटें व मृत्यु का जो कारण अपने न्यायालीन कथनो में व पी. एम. रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 में बताया गया है, उससे व मृतक को आई चोटों की प्रकृति स्वतः यह प्रमाणित करती है कि किसी वाहन से मृतक नन्नू सिंह की मृत्यु कारित हुई है। बस क्रमांक M.P. 08 P 0156 में चढ़ने के दौरान मृतक नन्नू सिंह की मृत्यु कारित हुई, इस संबंध में अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी राजेश (अ0सा0-4) व नारायण सिंह (अ0सा0-5) का भी अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि जब वह मौके पर पहुंचे थे, तो नन्नू सिंह वहां पड़ा हुआ था, इन साक्षियों का कहीं भी यह कहना नहीं है कि उन्होंने स्वयं बस क्रमांक M.P. 08 P 0156 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये अभियुक्त को देखा था और उस बस से गिरने से मृतक नन्नू

सिंह की मृत्यु कारित हुई।

- 19— राजेश (अ0सा0-4) बस का नंबर व अभियुक्त का नाम अपने कथनों में आस-पास के लोगो के बताये अनुसार बताता हैं, परन्तु इस साक्षी का कही भी यह कहना नहीं है कि उसने घटना स्वयं होते हुये देखी थी तथा मौके पर बस क्रमांक M.P. 08 P 0156 खड़ी थी या उसने ड्राइवर को देखा था। इसी प्रकार नारायण सिंह (अ0सा0-5) भी पाण्डे बस के आस-पास मौके पर भीड़ इकट्ठी होना बताता हैं तथा इस साक्षी का भी कहना है कि लोग बता रहे थे कि पाण्डे बस से एक्सीडेंट हुआ है। अतः राजेश (अ0सा0-4) व नारायण (अ0सा0-5) के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि न तो उन्होने यह देखा कि बस क्रमांक M.P. 08 P 0156 से गिरने से मृतक नन्नू सिंह की मृत्यु हुई और न ही उन्होने यह देखा कि उक्त बस को ही अभियुक्त दिनेश शर्मा ने उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर नन्नू सिंह की मृत्यु कारित की।
- 20— जब राजेश (अ0सा0-4) के द्वारा स्वयं ही अभियुक्त को कोई घटना कारित करते हुये नहीं देखा गया तो उसके बताये अनुसार सरोज बाई (अ0सा0-1) विजय परिहार (अ0सा0-8) व समीम खां (अ0सा0-2) के द्वारा घटना के संबंधे में न्यायालय में दिये गये कथनों का कोई महत्व नहीं रह जाता है और वैसे भी इनमें से किसी भी साक्षी ने अभियुक्त के संबंध में कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि मौके पर बस क्रमांक M.P. 08 P 0156 से घटना हुई थी, तो मात्र बस से मृतक नन्नू सिंह के गिरने से यह नहीं माना जा सकता है कि बस को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाने से घटना हुई थी, जब तक की इस आशय की कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर न हों।
- 21— उक्त बस को अभियुक्त दिनेश शर्मा ही चला रहा था इस आशय की भी कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हैं, मात्र प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई बस की जप्ती इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकती है कि उक्त जप्तशुदा बस ही घटना दिनांक को उपेक्षा व उतावलेपन से चल रही थी तथा उसे अभियुक्त चला रहा था और इसी कारण से नन्नू सिंह की मृत्यु हुई। प्रकरण में परिस्थिति जन्य साक्ष्य से यह तो प्रमाणित होता है कि मृतक नन्नू सिंह की मृत्यु किसी वाहन से कारित हुई थी, परन्तु प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में यह साबित नहीं होता है कि बस क्रमांक M.P. 08 P 0156 को अभियुक्त ने उपेक्षा व उतावलेपन से चलाने के कारण नन्नू सिंह की मृत्यु हुई।
- 22— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ कि अभियुक्त ने दिनांक 28.04.2012 को समय 02:30 बजे दोपहर लगभग पाण्डे होटल के सामने सार्वजनिक मार्ग पर बस क्रमांक M.P. 08 P 0156 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाते हुये मृतक नन्नू को बस से गिराकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

23-फलतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त दिनेश शर्मा पुत्र नारायण प्रसाद शर्मा को भा0द0वि0 की धारा 304 (A) के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त दिनेश शर्मा पुत्र नारायण प्रसाद शर्मा को भा0द0वि0 की धारा 304 (A) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

24- अभियुक्त 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति बस क्रमांक M.P. 08 P 0156 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा वाद मियाद अपील भारमुक्त समक्षा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)